न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 77/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/279

उनवान

1. श्री नारूलाल पिता कुका डांगी निवासी गन्दोलीखेडा तहसील मावली।

................प्रार्थी

बनाम

1. श्री गेहरीलाल पिता नाथु डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
2. श्री भगा पिता नाथु डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
3. श्री पेमा पिता नाथु डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
4. श्री किशनलाल पिता वाला डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
5. श्री रामलाल पिता वाला डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
6. श्री केवलचन्द्र पिता कुका डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
7. श्री मोतीलाल पिता कन्ना डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
8. श्रीमती वसमी पत्नी हेमरा डांगी निवासी सोडावास तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
9. श्रीमती भंवरी पत्नी खेम जी डांगी निवासी रठुजणा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
10. श्रीमती गोपी पत्नी लच्छा डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
11. श्रीमती नकारी बाई पत्नी डालु डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
12. श्री भीमा पिता वरदा डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
13. श्री रामा पिता लच्छा डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
14. श्रीमती कमला पुत्री नारू पत्नी मनोहर डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली।
15. श्री गमेरा पिता भेरा डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
16. श्रीमती जेवरीबाई पत्नी नारू डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
17. श्री देवीलाल पिता ठाकरीलाल डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
18. श्री नवा पिता हीरा डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
19. श्री पन्ना पिता भेरा डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
20. श्रीमती प्रताबी बाई पुत्री भेरा डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
21. श्रीमती बेनकी पुत्री लच्छा निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
22. श्री भगवानलाल पिता नाथु डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
23. श्री भीमा पिता भेरा डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
24. श्री भुरा पिता नंदा डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
25. श्री माना पिता उंकार डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
26. श्री मोहन पिता भेरा डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
27. श्रीमती रूकमणी पुत्री वगता पत्नी भंवरलाल डांगी निवासी बागथल तहसील वल्लभनगर
28. श्री रामलाल पिता लच्छा डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
29. श्री रामलाल पिता वाला डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
30. श्रीमती लच्छूबाई पत्नी वाला डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
31. श्रीमती लेहरी पत्नी हीरा डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।

32. श्री शंकरलाल पिता ठाकरी डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
33. श्री रामा पुत्री लच्छा पत्नी श्यामलाल डांगी निवासी आमली का वाडा डांगी खेडा तहसील मावली।
34. श्री भोलीराम पिता हेमा डांगी निवासी माला मंगरा गन्दोली खेडा तहसील मावली।
35. श्रीमती गीता पुत्री हेमा पत्नी गंगाराम डांगी निवासी नान्दवेल तहसील मावली।
36. श्रीमती राजु पुत्री हेमा पत्नी किशनलाल डांगी निवासी गादोली तहसील मावली।
37. पटवारी पटवार हल्का, लदानी तहसील मावली।
38. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री शैलेन्द्रसिंह राणावत अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 04.05.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गन्दोली खेडा पटवार हल्का, लदानी तहसील मावली की आराजी नम्बर 646/400 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदार की हेसियत से दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी के पूर्वी दिशा में विपक्षी संख्या–1 से लगायत 4 एवं विपक्षी संख्या–5 के स्वर्गीय पिता वाला जी की शामलाती कृषि भूमि आराजी नम्बर 401 पश्चिम विपक्षी संख्या 6 की कृषि भूमि आराजी नम्बर 400, उत्तर– आम रास्ता एवं दक्षिण– विपक्षी संख्या 6 से लगायत 36 तक कृषि भूमि की आराजी नम्बर 419 व 418, 399 से आपस में सटमा होने से विपक्षी संख्या 1 से 21 सीमा को लेकर आये दिन मुझ प्रार्थी से विवाद करते रहते है जिसका विपक्षीगणों को कोई अधिकार नहीं है।
2. यह कि विपक्षीगण के उपरोक्त कृत्य से प्रार्थी परेशान रहता है, चूंकि हम प्रार्थी शांति प्रिय व्यक्ति है तथा विपक्षीगण रोज रोज सरहद को लेकर प्रार्थी से विवाद करते रहते है, इसलिये हम प्रार्थी की स्वामित्व की भूमि जिसका विवरण प्रार्थना पत्र में किया गया हैं के मध्य पक्की पुख्ता पत्थर गढ़ी कराना आवश्यक है ताकि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य रोज–रोज होने वाले व्यर्थ के विवादों को रोका जा सके। मैं प्रार्थी अपनी भूमि का एक मात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी होने से मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है तथा सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है।
3. मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.04.2025 को तहसीलदार मावली अर्थात विपक्षीगण के समक्ष प्रस्तुत होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की सीमा जानकारी कराने का आवेदन किया जिस पर विपक्षीगण द्वारा विपक्षीगण पटवारी पटवार हल्का लोपडा को सीमा जानकारी कराने हेतु आदेशित किया, उक्त आदेश की पालना में पटवारी पटवार हल्का, लदानी द्वारा दिनांक 25.04.2025 को मौके पर आये किन्तु मौके पर विवाद होने की संभावना

की स्थिति होने से पटवारी साहब ने सीमा जानकारी करने से इन्कार कर दिया एवं पत्थर गढ़ी का आदेश न्यायालय आपसे लाकर पत्थरगढी कराने हेतु कहा, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 25.04.2025 को पैदा होने से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अन्त अंकित किया हैं कि मुझ प्रार्थी के स्वतंत्र स्वामित्व की कृषि भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है की पूर्वी, पश्चिम व दक्षिण अर्थात तीनों दिशाओं में स्थित विपक्षीगण की कृषि भूमि के मध्य पक्की पुख्ता पत्थर गढ़ी करवाये जाने का आदेश प्रदान करवाया जावे एवं विपक्षी संख्या 1 से लगायत 36 को इस बात के लिये पाबंद किया जावे कि वे मुझ प्रार्थी की स्वामित्व की कृषि भूमि में कोई दखलन्दाजी नहीं करें तथा मुझे मेरी भूमि का शांति पूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवें। शपथ—पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 37, 38 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 1 से 8, 10 से 26, 28 से 30, 32 से 36 तक के सम्मन पूर्व में बाद तामील प्राप्त होकर शा.फा. है। विपक्षी संख्या 1 से 8, 10 से 26, 28 से 30, 32 से 36 को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 9, 27 एवं 31 के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से विपक्षी संख्या 9, 27 एवं 31 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा गन्दोलीखेडा पटवार हल्का, लदानी तहसील, मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 70 पर दर्ज आराजी नम्बर 646/400 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजी में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। यह प्रकरण कब्जा प्राप्त करने संबंधी नही है। केवल मात्र प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। साथ ही उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही रहेगा। इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

: : आदेश : :

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा गन्दोलीखेडा पटवार हल्का, लदानी तहसील, मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 70 पर दर्ज आराजी नम्बर 646/400 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि का पुख्ता सीमांकन कर पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण दिशाओं की सीमाओ की पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व प्रार्थी, विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगढ़ी प्रार्थी, विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगढ़ी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगढ़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने या जबरन कब्जा प्राप्त करने का प्रयास नही करें। पत्थरगढ़ी करने के पश्चात उभय पक्षो का कब्जे संबंधी मौके पर विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
7. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
8. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर